न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व वाद 58/2022 (2022/196)

सोदरा पत्नि श्री पोलूराम जाति भील निवासी ग्राम भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

-- प्रतिवादी

उपस्थितः–

श्री चेतन धाबाई–वादीया अधिवक्ता
पेरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकड़ी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–01.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प निमोद में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। वादिया द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 ,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसके तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01	456	0.65	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.65 हेक्टर	

यह कि वर्ष 2013 में प्रशासन शहरो के संग अभियान में वादवर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 456 ग्राम निमोद में रकबा 1.45 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर किस्म बारानी 2 आवंटन के लिए वादिया ने प्रार्थनापत्र फार्म नम्बर 3 भरकर दिनांक 14.01.2013 को प्रस्तुत किया था जिस पर वादिया के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 456 में से 0.65 हैक्टर आवंटन करने के लिए आवंटन समिति ने सिफारिश कर आवंटन आदेश पारित किया था। उक्त आराजीयात पर वादिया वर्ष 2013 से ही काबिज है तथा काश्त करती आ रही है। वादिया अनपढ है व अनुसूचित जनजाति की सदस्या है। वादिया को अग्रिम कार्यवाही की जानकारी नही थी इसलिए वादिया अपनी आवंटनशुदा भूमि को गैर खातेदारी अपने नाम करवाने में असमर्थ रही थी। पटवारी हल्का द्वारा वादिया को बताया गया कि भूमि तुम्हारे नाम नही है तो वादिया ने आवंटन आदेश की नकल व अन्य दस्तावेज प्राप्त किये तो जानकारी हुई कि वर्तमान में उक्त भूमि वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नही चढी है। इस भूमि पर वादिया के अलावा किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नही है। वादिया अपनी भूमि पर कब्जे काश्त करती चली आ रही है। वादिया को वादग्रस्त आराजी का

शिविर प्रभारी
शासन गांवों के संग अभियान 2023
एवं मंहगाई राहत शिविर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम इन्द्राज किया जाकर मालगुजारी कायम की जाकर अन्य अंकन को विलोपित किया जाने तथा आवंटन आदेश दिनांक 14.01.2013 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम अंकन किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक बताया जाकर निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी से जवाब दावा प्राप्त किया जाकर पत्रावली में तनकीयात कायम की गई एवं साक्ष्यवादी के तहत गवाहों के बयान व जिरह करवाई जाकर तनकीवार बहस सुनी गई।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त जवाब सरकार अनुसार वादिया सोदरा के नाम ग्राम निमोद में खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि प्रपत्र 3 में पटवारी/गिरदावर द्वारा आवंटन हेतु सिफारिश की गई थी। अवंटन कमेटी की सिफारिश में खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर आवंटन किया गया। आवंटन आदेश में ग्राम निमोद के स्थान पर भराई दर्ज कर दिया गया। ग्राम भराई में उक्त खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 हैक्टर शंकर पुत्र रायमल के नाम दर्ज है।

पत्रावली में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

तनकी नम्बर 1 –आया वादिया ने दिनांक 14.01.2013 को राजस्व केम्प भराई में भूमि आवंटन ग्राम निमोद में करने के लिए आवेदन किया था।

तनकी नम्बर 2 – आया वादिया को आवंटन समिति द्वारा ग्राम निमोद में भूमि आवंटन भूमि आराजी खसरा नम्बर 456 रकबा 1.45 हैक्ट में से रकबा 0.65 हैक्टर का आवंटन किया गया था।

तनकी नम्बर 3 – आया वादिया आवंटन आदेश में ग्राम निमोद के स्थान पर ग्राम भराई को दुरूस्त किया जाकर ग्राम निमोद किया जाना उचित है।

तनकी नम्बर 4 – आया वादिया ग्राम निमोद खसरा नम्बर 456 रकबा 1.45 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर का काश्तकार घोषित किया जाना व राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किये जाने की अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली में साक्ष्य करवाई गई जिसमें साक्ष्य वादी के तहत गवाहों के शपथपत्र पेश किये जाकर बयान एवं जिरह करवाई गई तथा तनकीवार बहस सुनी गई जो निम्नानुसार है–

तनकी नम्बर 1 – आया वादिया ने दिनांक 14.01.2013 को राजस्व केम्प भराई में भूमि आवंटन ग्राम निमोद में करने के लिए आवेदन किया था।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। वादिया द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए दस्तावेज प्रदर्श पी–1 ग्राम निमोद की जमाबंदी संवत 2071–74 जमाबन्दी 2076 से स्थाई के खाता संख्या 1 की फोटो प्रति पेश की है। प्रदर्श पी–2 फार्म नं. 3 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत कब्जे रहित पड़त राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए प्रार्थनापत्र आवेदन दिनांक 14.01.2013 की प्रमाणित प्रति पेश की है। वादिया के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रदर्श पी–2 फार्म नं. 3 की प्रमाणित प्रति जो कि उपखण्ड अधिकारी महोदय केकड़ी द्वारा जारी की गई है के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट होता है कि वादिया द्वारा दिनांक 14.01.2013 को आवंटन

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
एवं मंहगाई राहत शिविर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

समिति के समक्ष ग्राम निमोद के खसरा नम्बर 456 रकबा 1.45 हैक्टर में से भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया था। दस्तावेज प्रदर्श पी–2 को अवैध साबित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहीलदार द्वारा कोई तर्क/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाकर जवाब दावा/जवाब सरकार पेश किया है जिसमें भी स्पष्ट किया गया है कि वादिया सोदरा द्वारा ग्राम निमोद में खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 3 में आवेदन किया गया जिस पर पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा सिफारिश की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी नम्बर 1 वादिया के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादिया को आवंटन समिति द्वारा ग्राम निमोद में भूमि आवंटन भूमि आराजी खसरा नम्बर 456 रकबा 1.45 हैक्ट में से रकबा 0.65 हैक्टर का आवंटन किया गया था।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। वादिया द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए दस्तावेज प्रदर्श पी–1 ग्राम निमोद की जमाबंदी संवत 2071–74 जमाबन्दी 2076 से स्थाई के खाता संख्या 1 की फोटो प्रति पेश की है। प्रदर्श पी–2 फार्म नं. 3 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत कब्जे रहित पड़त राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए प्रार्थनापत्र आवेदन दिनांक 14.01.2013 की प्रमाणित प्रति पेश की है। वादिया के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादिया द्वारा दिनांक 14.01.2013 को फार्म नं. 3 में ग्राम निमोद में भूमि आवंटन हेत आवेदन किया गया था जिस पर संबंधित पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 14 में ग्राम निमोद में खसरा नम्बर 456 में से 0.65 हैक्टर भूमि आवंटन की सिफारिश की गई जिस पर आवंटन कमेटी की सिफारिश की गई है जिसमें सहवन से ग्राम निमोद के स्थान पर भराई अंकित किया गया जो कि गलत है क्योंकि वादिया द्वारा आवेदन एवं संबंधित पटवारी हल्का द्वारा सिफारिश ग्राम निमोद के खसरा नम्बर 456 बाबत किया गया था। फार्म नं. 3 के भाग "कार्यालय उपखण्ड अधिकारी" में आवंटन समिति की सिफारिश पर प्रार्थी को भूमि आवंटन किये जाने के आदेश दिये गये है जिस पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर अंकित है। वादिया के अधिवक्ता द्वारा इस तनकी के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू 1 श्रीमति सोदरा पत्नि श्री पोलूराम जाति भील निवासी भराई का शपथपत्र पेश कर बयान करवाये गये हैं। साथ ही तर्क दिया कि तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट/जवाब सरकार में भी स्पष्ट किया गया है कि आवंटन आदेश में ग्राम निमोद के स्थान पर भराई दर्ज कर दिया गया है।

इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहीलदार द्वारा कोई तर्क/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाकर जवाब दावा/जवाब सरकार पेश किया है जिसमें भी स्पष्ट किया गया है कि वादिया सोदरा द्वारा ग्राम निमोद में खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 3 में आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा सिफारिश की गई है। आवंटन कमेटी की सिफारिश में

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
एवं मंहगाई राहत शिविर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर का आवंटन किया गया है एवं आवंटन आदेश में ग्राम निमोद के स्थान पर ग्राम भराई दर्ज कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी नम्बर 2 वादिया के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 – आया वादिया आवंटन आदेश में ग्राम निमोद के स्थान पर ग्राम भराई को दुरूस्त किया जाकर ग्राम निमोद किया जाना उचित है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है।वादिया के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जैसा कि तनकी नम्बर 2 में स्पष्ट किया गया है कि वादिया द्वारा दिनांक 14.01.2013 को फार्म नं. 3 में ग्राम निमोद में भूमि आवंटन हेत आवेदन किया गया था जिस पर संबंधित पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 14 में ग्राम निमोद में खसरा नम्बर 456 में से 0.65 हैक्टर भूमि आवंटन की सिफारिश की गई जिस पर आवंटन कमेटी की सिफारिश की गई है जिसमें सहवन से ग्राम निमोद के स्थान पर भराई अंकित किया गया जो कि गलत है क्योंकि वादिया द्वारा आवेदन एवं संबंधित पटवारी हल्का द्वारा सिफारिश ग्राम निमोद के खसरा नम्बर 456 बाबत किया गया था। फार्म नं. 3 के भाग "कार्यालय उपखण्ड अधिकारी" में आवंटन समिति की सिफारिश पर प्रार्थी को भूमि आवंटन किये जाने के आदेश दिये गये है जिस पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर अंकित है साथ ही तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट/जवाब सरकार में भी स्पष्ट किया गया है कि आवंटन आदेश में ग्राम निमोद के स्थान पर भराई दर्ज कर दिया गया है। अतः आवंटन आदेश में अंकित ग्राम भराई के स्थान पर ग्राम निमोद किया जाना न्यायोचित है।

इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहीलदार द्वारा कोई तर्क/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाकर जवाब दावा/जवाब सरकार पेश किया है जिसमें भी स्पष्ट किया गया है कि वादिया सोदरा द्वारा ग्राम निमोद में खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 3 में आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा सिफारिश की गई है। आवंटन कमेटी की सिफारिश में खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर का आवंटन किया गया है एवं आवंटन आदेश में ग्राम निमोद के स्थान पर ग्राम भराई दर्ज कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी नम्बर 3 वादिया के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4 – आया वादिया ग्राम निमोद खसरा नम्बर 456 रकबा 1.45 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर का काश्तकार घोषित किया जाना व राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किये जाने की अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। वादिया के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पूर्व में कायम की गई तनकीयात संख्या 1, 2 व 3 पूर्ण रूप से वादिया के पक्ष में साबित होती है। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द दस्तावेजात, फार्म नं.3 की प्रमाणित प्रति पी–2, तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट/जवाब सरकार के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिया श्रीमति सोदरा द्वारा ग्राम निमोद के खसरा नम्बर 456 में से भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया था जिस पर पटवारी हल्का एवं आवंटन कमेटी की

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
एवं मंहगाई राहत शिविर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा सोदरा को ग्राम निमोद के ही खसरा नम्बर 456 में से 0.65 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था, लेकिन सहवन से आवंटन कमेटी की सिफारिश में ग्राम निमोद के स्थान पर ग्राम भराई दर्ज हो गया है। आवंटन समय से ही वादिया उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम निमोद के खसरा नम्बर 456 में से रकबा 0.65 हैक्टर पर कब्जा प्राप्त कर काश्त करती चली आ रही है एवं उपज प्राप्त करती आ रही है। अपने तर्क के समर्थन में गवाह स्वयं वादिया श्रीमति सोदरा के शपथ पत्र पेश किये जाकर बयान कराये गये है। चूंकि वादिया अनपढ महिला है एवं जानकारी के अभाव में वह अपनी आवंटनशुदा आराजीयात को समय पर अपने नाम खातेदारी दर्ज नही करा सकी, लेकिन इससे वादिया के उक्त भूमि से संबंधित अधिकार न्यायहित में समाप्त नही किये जा सकते है। अतः वादिया ग्राम निमोद के खसरा नम्बर 456 रकबा 1.45 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर कीखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किये जाने की अधिकारी है एवं न्यायसंगत है।

इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहीलदार द्वारा कोई तर्क/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाकर जवाब दावा/जवाब सरकार पेश किया है जिसमें वादिया को उनके द्वारा किये गये आवेदन पर ग्राम निमोद में खसरा नम्बर 456 में 0.65 हैक्टर भूमि के आवंटन के आदेश किया जाना जाहिर किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी नम्बर 4 वादिया के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

–:आदेश:–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पक्षकारान की तनकीवार बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया पत्रावली में कायम सभी तनकीयात को वादिया द्वारा अपने पक्ष में साबित किया गया है। सभी तनकीयात के वरवक्त निस्तारण वादिया के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों से सिद्ध होता है कि वादिया को दिनांक 14.01.2013 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम निमोद के खसरा नम्बर 456 में रकबा 0.65 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था एवं वरवक्त आवंटन से ही वादिया उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। न्यायालय वादिया के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत है। अतः वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादिया के पक्ष में डिक्री किया जाता है एवं ग्राम निमोद के आराजी खसरा नम्बर 456 रकबा 0.65 हैक्टर पर वादिया के नाम का अंकन स्वीकार कर वादिया को गैर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेशआजमेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प निमोद में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
एवं मंहगाई राहत शिविर